

: पंजीकरण प्रमाण-पत्र (सं० 276 / 2018-19) :

शासनादेश संख्या-3460 / 23-7-08-41एम0एस0ए0 / 54 टी0सी0-III दिनांक 28.7.2008 के अनुसार अपेक्षित कागजात/जमानती राशि जमा करने के फलस्वरूप श्री जितेन्द्र कुमार त्यागी पुत्र महाराज सिंह, निवासी-2/464, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ परिमण्डल के अन्तर्गत भवन/मार्ग निर्माण हेतु "सी" श्रेणी में दिनांक 30.6.2021 तक के लिये पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ परिमण्डल मेरठ के लिये ही मान्य होगा तथा इसकी वैधता दिनांक 30-6-2021 तक रहेगी एवं तत्पश्चात स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।

उक्त फर्म के चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता कमशः दिनांक 29.03.2021 तथा हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 27.02.2020 तक है, जिनकी निरन्तरता/वैधता बनाये रखने का दायित्व संबंधित फर्म का होगा, चरित्र/हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता उक्त निर्धारित समय से पूर्व न बढ़ पाने की स्थिति में पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(अजय सिंघल)
अधीक्षण अभियन्ता,

पत्रांक एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- श्री जितेन्द्र कुमार त्यागी पुत्र महाराज सिंह, निवासी-2/464, चिरंजीव विहार, गाजियाबाद ।
- 2-समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल, मेरठ।
- 3-लेखालिपिक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल कार्यालय मेरठ को जमानत राशि अंकन रू० 1,00,000.00 (रू० एक लाख मात्र) की एफ०डी०आर० सहित इस निर्देश के साथ कि जमानती राशि को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
(रवि शर्मा) मेरठ, परिमण्डल मेरठ
आशु लिपिक